



2026:AHC:166083

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत आवेदन संख्या

- 8056 वर्ष 2026

सौरभ बघेल

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : देवदयाल तिवारी, जय राज

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 001 वर्ष 2026, धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(1) भारतीय न्याय संहिता तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66, थाना- साइबर क्राइम चंदौली, जनपद- चंदौली में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। कहा गया है कि पुलिस ने एक पुलिस मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तीन नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार किया कि कुछ व्यक्ति लोगों को कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जब उक्त अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने एक सुधांशु राय का नाम बताया। आरोप है कि अन्य तीन अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नामजद अभियुक्त अनभिज्ञ व्यक्तियों से सूचना एवं दस्तावेज एकत्र कर उनके खाते खुलवाते थे, जिनका बाद में ऑनलाइन खेल/अंतरजाल धोखाधड़ी के लिए उपयोग किया जाता था। सुधांशु राय की गिरफ्तारी के पश्चात उसके इकबालिया बयान में आवेदक का नाम सामने आया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि जिन खातों का अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से दुरुपयोग किया जा रहा था, उनका किसी अंतरजाल अपराध से संबंध स्थापित नहीं हुआ है। न तो अपराध से अर्जित कोई आय और न ही कोई ऐसा लेन-देन दर्शाया गया है, जिससे आवेदक का प्रश्नगत अपराध से संबंध स्थापित हो। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया है तथा तर्क दिया है कि सह-अभियुक्त सुधांशु राय ने अपने इकबालिया बयान में कहा है कि वह इन खातों को एकत्र करता था और उक्त खातों के ए.टी.एम. कार्ड एवं पिन सह-अभियुक्त सौरभ, जो आवेदक है, को 12,000/- रुपये के भुगतान पर भेजता था। विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदक को किए गए अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की यह श्रृंखला पूर्ण है। सह-अभियुक्त सुजीत कुमार के खातों के संबंध में राष्ट्रीय साइबर अपराध शिकायत पंजीकरण मंच पर कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। तथापि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से विवाद नहीं कर सके कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है।

6. आवेदक का नाम सह-अभियुक्त के इकबालिया बयान में सामने आया है। प्रश्नगत अंतरजाल अपराध से आवेदक को जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। यह भी नहीं कहा गया है कि आवेदक के अपने खाते में कोई धनराशि प्राप्त हुई।

7. प्रकरण के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के खाते में कोई मौद्रिक लेन-देन दर्शाया नहीं गया है, मैं पुलिस आख्या प्रस्तुत किए जाने तक आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

8. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

9. आवेदक **सौरभ बघेल** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में **पुलिस आख्या प्रस्तुत किए जाने तक अग्रिम जमानत पर तत्काल**, संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय की संतुष्टि पर समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रिहा किया जाएगा :-

- i. आवेदक जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
- ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;
- iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
- iv. आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

7 अगस्त, 2026

सचिन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।